भर्ती सूचना

हरियाणा पुलिस अधिनियम-2007 की धारा-21 के तहत पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्गाम में 15 विशेष पुलिस अधिकारियों के चयन हेतु प्रकिया

पद का नाम	पदो की संख्या	आवेदन की तिथि
विशेष पुलिस अधिकारी (SPO)	15	10.11.2025 से 14.11.2025

पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्राम में 15 विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए दिनांक 10.11.2025 से 14.11.2025 को आवेदन किया जा सकता है।

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत कर्मचारी, HSIF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा हरियाणा शस्त्र बल (HAP) के हटाए गए कर्मचारियो में से पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्राम में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती के इच्छुक आवेदक निम्नलिखित शर्तों के अनुसार दिनांक 10.11.2025 से 14.11.2025 को कार्यालय पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्राम में आवेदन कर सकते हैं:-

1. आवेदक दिनांक 10.11.2025 से 14.11.2025 तक व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्राम में उपस्थित होकर सम्पर्क कर सकते है और अपना आवेदन-पत्र जमा करा सकते है योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन-पत्र के साथ 4 पासपोर्ट साईज फोटो, शिक्षा, सेवा से सम्बंधित प्रमाण पत्र, मूल रिहायशी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल चिकित्सा प्रमाण पत्र, इत्यादि दस्तावेजो के साथ व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्तालय, गुरूग्राम में भर्ती कमेटी के सदस्यों से सपंर्क करे।
2 चयनित उम्मीदवार को 20000/ रूपये प्रतिमाह वेतन दिया जाऐगा। चयनित उम्मीदवार के वेतन से डयूटी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन में निशुल्क यात्रा के संबंध में 120/ रूपये प्रतिमाह काटा जाऐगा।
3. सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है कि उनकी आयु 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।
4. किसी भी उम्मीदवार को अनुशासनंहीनता या मेडिकल के आधार पर पूर्व में नौकरी से नहीं हटाया गया हो।
5. भूतपूर्व सैनिक द्वारा सेना में कम से कम 05 वर्ष तक सेवाए दी गई होनी चाहिए।
6. चयनित कर्मचारी अस्थाई तौर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 20000/ रुपये के मासिक मानदेह पर रखे जाएंगे, इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारी को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा ।
7. चयनित कर्मचारियो को भर्ती के बाद 02 जोडी वर्दी, 01 जोडी जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओ के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएंगे।
8. सरकारी दौरे पर 150 रुपये रोजाना के हिसाब से टी.ए./डी.ए दिया जाएगा।
9. SPO को एक वर्ष में 20 आकास्मिक अवकाश निर्धारित नियमावली अनुसार दिए जाएगे।
10. भूतपूर्व सैनिक के भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक माप-तौल नहीं होगा।
11. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतो के अनुसार अनुसुचित जाति तथा पिछडे वर्ग के उम्मीदवारो को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
12. विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को अपातकालीन स्थिति में हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
13. चयनित विशेष पुलिस अधिकारी को 15 दिन का पुलिस लाइन्स गुरुग्राम में प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था ड्यूटी, गार्ड ड्यूटी, पेट्रोलिंग, यातायात और पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटी पर तैनात किया जा सके।
14. चयन के लिए साक्षात्कार में आने वाले उम्मीदवारो को कोई टी.ए./डी.ए नहीं दिया जाएगा।
15. पदो की संख्या बिना कोई कारण बताए बढ़ाई या घटाई जा सकती है और आवेदन अधिक होने पर प्रतीक्षा सूची भी बनाई जा सकती है।

1084/11/4071/2026/39887/10/6

पुलिस उपायुक्त मु०. गुरुग्राम